संख्या:194/2026/1640/35-4-2026/35-4002(003)/57/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 23 अक्टूबर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-49/2026/565/35-4-2026/35-4002(003)/57/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 42 कार्यों की रू0 2492.56 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 1241.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

2- आपके पत्र संख्या-535/ग्रा0अ0वि0/त्वरितआ0वि0यो0/2026-27 दिनांक 19.09.2026 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक-27 पर अंकित कार्य यथा- बण्डा मार्ग से सिकरहना गांव तक डामर रोड तथा इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण (लम्बाई-1.05 किमी0, लागत रू0 70.90 लाख) का निर्माण कार्य मण्डी परिषद द्वारा पूर्ण करा दिये जाने के दृष्टिगत एतदद्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। निरस्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रुपये पैंतीस लाख मात्र को राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:194/2026/1640(1)/35-4-2026/35-4002(003)/57/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पीलीभीत।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीलीभीत।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।